

का एक नया डिजाइन क्रिक्सित किया है जिसमें स्टील के गेस होल्डर नहीं होते हैं। इस नए डिजाइन से लागत कम हो गई है और इसे उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

राजस्थान में ग्रामीण उद्योगों का विकास

1951. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान में ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) :
 (क) और (ख). राजस्थान में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के ग्रामीण उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटक के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड में प्रतिवर्ष 100 परिवारों को लाया जाना है। इस कार्यक्रम में उद्यमियों द्वारा लघु, कुटीर तथा घरेलू औद्योगिक यूनिटों की स्थापना का प्रावधान है और उद्यमी/कारीगर को इस प्रयोजन हेतु 3000 रुपए तक का उपदान दिया जाता है। विशेषकर इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए खण्डों में उद्योग विस्तार अधिकारियों की तैनाती की गई है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और पाज़स्थान खादी तथा ग्रामाचार्य बोर्ड द्वारा भी खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये 25 ग्रामोद्योगों में यूनिटों की स्थापना करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा विपणन सहायता सुलभ की जानी है। ऊन परिकरण, ग्रामीण चमड़ा तथा ग्रामीण

कुम्हारी की यूनिटों पर विशेष कल दिया गया है। दरी विनिर्माण यूनिटों की स्थापना की जा रही है तथा इन कार्यों में लगे हुए कारीगरों की कुशलताओं में सुधार किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सिए वैज्ञानिक का चयन

1952. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन कृषि अनुसंधान बोर्ड जो केवल एक व्यक्ति वाली एक समिति है, द्वारा प्रत्याशियों का चयन अनुचित है ; और

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) :

(क) विज्ञानिकों की भर्ती कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसायटी के नियमों तथा उप-नियमों के अनुसार की जाती है तथा उस रूप में यह अनुचित नहीं है। चयनों की चयन समितियों द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है जिनमें कि संबंधित शाखाओं में दो या तीन विशेषज्ञ होते हैं तथा कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि होता है।

रु० 2000 से 2500 तथा उससे ऊपर के ग्रेड पदों को भर्ती के लिए अब न समितियों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष (कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री) द्वारा दो सलाहकार नामजद किये जाते हैं।